

सूचना का अधिकार

आधिनियम -2005

जिला अंत्यावसायी सहकारी विकास समिति मर्या.

जिला -सिवनी

(पं.क.-388 दिनांक 09/01/1985)

कार्यालय , जिला अत्यावसायी सहकारी विकास समिति मर्यादित

जिला – सिवनी (म.प्र)

सूचना का अधिकार अधिनियम – 2005 से संबंधित जानकारी

(अ) कार्यालय का नाम – जिला अत्यावसायी सहकारी विकास समिति मर्या.
सिवनी

(1) जिला समिति का परिचय एवं उद्देश्य :-

परिचय :-

जिला अत्यावसायी सहकारी विकास समिति मर्यादित सिवनी सहकारिता अधिनियम 1960 के तहत पंजीकृत संस्था है । जिसका पंजीयन क्रमांक 388 दिनांक 09.01.1985 है ।

इस संस्था का गठन अनु.जा./ज.जाति एवं अन्य कमजोर वर्गों के लिए ऐसे रोजगार मूलक कार्यक्रम उपलब्ध कराने हेतु किया गया है जिससे उन्हें बेहतर आजीविका कमाने में अर्थिक मदद मिल सके । चूंकि वर्ष 1995-96 से शासन ने पृथक से अनु.ज.जा. के साहयतार्थ आदिवासी वित्त एवं विकास निगम तथा पिछड़े वर्ग के सदस्यों के साहयतार्थ पिछड़े वर्ग वित्त विकास निगम का गठन कर दिया गया अतः जिला अत्यावसायी सहकारी विकास समिति वर्ष 1995-96 से मात्र अनु.जाति के आर्थिक उत्थान की ही योजनायें संचालित करती है । समिति द्वारा गरीबी रेखा से नीचे एवं विभिन्न राष्ट्रीय निगमों द्वारा निर्धारित आय सीमा तक के परिवारों को स्वरोजगार में स्थापित करने के उद्देश्य से विभिन्न आय जनित योजनाओं जैसे :-कृषि क्षेत्र में ,टेक्टर ट्राली , थ्रेसर , डीजल विद्युत मोटर पंप डेयरी आदि । सेवा क्षेत्र में :- किराना दुकान , जनरल स्टोर , जूता चप्पल दुकान , सायकिल , स्कूटर मरम्मत आदि । परिवहन क्षेत्र में :- आटो रिक्शा , जीप –टैक्सी , मिनीबस , आदि में कम ब्याज दर पर ऋण सहायता उपलब्ध करा रही है ।

प्रदेश स्तर पर संस्था का मुख्यालय म.प्र. राज्य सहकारी अनु. जाति वित्त एवं विकास निगम मर्या. 35, राजीव गांधी भवन , श्यामला हिल्स , भोपाल है ।

उद्देश्य :-

समिति का मुख्य उद्देश्य अनुसूचित जाति के गरीबी रेखा से नीचे एवं गरीबी रेखा के दोगुनी आय सीमा तक के परिवारों को आर्थिक सहायता उपलब्ध कराना है । जिसके लिये एकीकृत साख सुविधायें अन्य सेवाओं और सुविधाओं को उपलब्ध कराया जावेगा । जिससे की उन्हें रोजगार के अधिक अवसर उपलब्ध हो तथा उनका उत्पादन एवं आय बढ़ायी जा सके और इसके लिये उनके हित में उपभोक्ता सामग्री का वितरण तथा अन्य सहायता आर्थिक विकास के कार्यक्रम भी गठित किये जा सके ।

जिला समितियों के कार्यापालन अधिकारियों के कर्तव्य :-

1. समिति के व्यापार एवं प्रशासन पर उसका सामान्य नियंत्रण एवं पर्यवेक्षण होगा ।
- 2 संचालक मंडल द्वारा बनाये गये नियमों के अंतर्गत तथा उसके अनुमोदन से समिति के कर्मचारियों को नियुक्त करना उनका स्थानांतरण करना एवं दण्डित करना और उनसे जमानत प्राप्त करना एवं उनके कर्तव्य तय करना ।
3. सदस्यों को अंश प्रमाण पत्र जारी करना
- 4 अन्य समितियों में समिति का प्रतिनिधित्व करने के लिये, प्रतिनिधी के रूप में निर्वाचित सदस्यों के नाम भेजना ।
- 5 समिति की ओर से सभी पत्र व्यवहार आदि करना ।
- 6 समिति की ओर से वाद, प्रतिवाद प्रस्तुत करने वाला अधिकारी होंगे और समिति की ओर वह समस्त बंधपत्र , समा .योजना तथा अनुबंध उसके नाम होंगे ।
- 7 वह समिति की ओर से नकदी , धनादेश , बैंक , ड्रफ्ट , प्रतिभूतियां आदि प्राप्त और समिति की ओर से समस्त भुगतान तथा नकदी , शेष व अन्य संपत्तियों की सुरक्षा करेंगे या व्यवस्था करेंगे ।
- 8 समिति की ओर से प्रतिज्ञा पत्रों .शासकीय और अन्य प्रतिभूतियों , चेक आदि को पृष्ठांकित और हस्तांतरित करेंगे या करायेगें । संचालक मंडल द्वारा निर्धारित सीमा में रहते हुये वह समिति के किसी बैंक में खोले गये खाते में लेन देन करेगा, या व्यवस्था करेगा
- 9 समिति के हित में अत्यावश्यक प्रकृति के किसी कार्य के लिये वह 2001 तक आकस्मिक व्यय कर सकेंगे और संचालक मंडल आगामी बैठक में सूचित करना ।
- 10 वह संचालक मंडल की ओर से उसकी अनुमोदन प्राप्त करने के लिये भविष्य की योजना, वार्षिक रिपोर्ट , वार्षिक बजट लाभ विभाजन प्रतिवेदन और सालाना पत्रक तैयार करना ।
- 11 अंकेक्षण एवं निरीक्षण का पालन प्रतिवेदन तैयार करना और संचालक मंडल के समक्ष रखना ।
- 12 समिति के व्यापार संचालन के लिये सभी पत्रों एवं दस्तावेजों पर, समिति की ओर से हस्ताक्षर करना ।
- 13 कर्मचारियों को अवकाश स्वीकृत करना ।
- 14 संचालक मंडल के सीधे नियंत्रण में रहते हुये समिति के सफल व्यापार एवं कार्य के लिये सभी कर्तव्यों एवं अधिकारों का उपयोग करना जो इस हेतु आवश्यक हों।
- 15 समिति कि गोदाम में या अन्य उपयुक्त स्थानों पर सदस्यों द्वारा उत्पादित माल को सुरक्षित रखने की व्यवस्था करना ताकि वे इस माल के तारण पर समिति से ऋण प्राप्त कर सकें ।
- 16 समिति की संपत्तियों एवं तारण पर रखे गये माल का बीमा करवाने की व्यवस्था करना ।

(ब) विभिन्न शाखायें एवं कार्य :-

| क. | शाखा | कार्य |
|----|-----------------|---|
| 1 | प्रशासनिक शाखा | जिला समिति के कार्य व्यापार पर सामान्य नियंत्रण एवं प्रशासन । |
| 2 | योजना शाखा | विभाग द्वारा संचालित योजनाओं के प्रस्ताव तैयार करना प्रस्तुतीकरण ऋण वसूली आदि । |
| 3 | लेखा शाखा | जिला समिति के सभी लेखा /रोकड़ संबंधी कार्यों का संपादन |
| 4 | कार्यालयीन शाखा | स्टेशनरी स्टेशनरी स्टोर , आवक , जावक नस्तियों का संधारण , टंकण एवं अन्य सभी कार्य संपादित किये जावेगे । |

अधिकारियों /कर्मचारियों का कार्य विभाजन :-

| क. | नाम | पद | परिलब्धि (मूलवेतन +डी.ए.) | कार्य |
|----|--------------------|---------------------------------|------------------------------|---|
| 1 | श्री आर.के.जैन | प्रभारी कार्यपालन अधिकारी | 24336 / - | जिला समिति के कार्यकलापो की प्रगति हेतु मार्गदर्शन पर्यवेक्षक एवं नियंत्रण । |
| 2 | श्री वाय.के. वर्मा | लेखापाल | 19774 / - | जिला समिति के सभी प्रकार के लेखों का संधारण कराना एवं कार्यापालन अधिकारी तथा क्षेत्राधिकारी द्वारा सौंपे गये कार्य । |
| 3 | श्री बलराम नामदेव | लिपिक | 13690 / - | आवक जावक योजना , स्थापना , स्टेशनरी , स्टोर आदि की नस्तियों का संधारण तथा लेखापाल , क्षेत्राधिकारी , कार्यपालन अधिकारी द्वारा सौंपे गये समस्त कार्यों का संपादन । |

3. उपनियम 4.1 (बी) (3) के अंतर्गत निर्णय लेने संबंधी प्रक्रिया को ग्राफ के रूप में तैयार करना :-

1. प्रशासनिक व्यवस्था /स्थापना शाखा

Actt /L.D.C. ----- C.E.O./E.O./A.E.O.----- COLLECTER/CHAIRMAN
(Dealing staff) (Channels Officers &Supervisory Authority) (Decision Authority)

2. लेखा शाखा

Actt /L.D.C. ----- C.E.O./E.O./A.E.O.----- COLLECTER/CHAIRMAN
(Dealing staff) (Channels Officers &Supervisory Authority) (Decision Authority)

3. योजना शाखा

Actt /L.D.C.-----F.O.-----C.E.O./E.O./A.E.O.----- COLLECTER/CHAIRMAN
(Dealing staff) (Channels Officers) (Supervisory Authority) (Decision Authority)

4.कार्यालयीन व्यवस्था

Actt /L.D.C. ----- C.E.O./E.O./A.E.O.----- COLLECTER/CHAIRMAN
(Dealing staff) (Channels Officers &Supervisory Authority) (Decision Authority)

4.कार्यों के निबटारे की समय –सीमा :-

1. ऋण आवेदनों का परीक्षण –30 दिनों के अंदर ।
2. चयन पश्चात बैंको /निगम मुख्यालय को भेजना – 15 दिवस ।
3. अनुदान का संप्रेषण – अनुदान मांग प्राप्त होने पर 30 दिन भीतर (आवंटन उपलब्ध होने की स्थिति में)
4. राष्ट्रीय निगम की योजनाओं में ऋण वितरण – हितग्राही द्वारा आवश्यक औपचारिकताएँ पूर्ति कराने के पश्चात 15 दिन के अंदर ।

नोट :- परंतु वे जानकारी /सूचनाएँ जो व्यक्ति के जीवन /स्वतंत्रता से संबंधित हो, ऐसे मामले में संबंधित को सूचना के अनुरोध से 48 घंटे के भीतर सूचनाएँ प्रदान की जावेंगी ।

(ख) गुणवत्ता :-

1. हितग्राही को जिस व्यवसाय हेतु ऋण दिया जावेगा उसी व्यवसाय में लगाना अनिवार्य है । ऐसा नहीं करने पर संपूर्ण ऋण राशि मय ब्याज के सहकारिता अधिनियम के अंतर्गत एवं भू –राजस्व की भांति वसूलनीय होगी ।
2. जिला एवं राज्य स्तरीय अधिकारियों द्वारा समय – समय पर इकाई निरीक्षण किया जावेगा ।

4. (ग) योजनाओं में प्राप्त लक्ष्य (वर्ष 2011-12):-

| क | योजना का नाम | भौतिक लक्ष्य | वित्तीय लक्ष्य (लाखों में) |
|----|------------------------------|--------------|-------------------------------|
| 1. | अन्तोदय स्वरोजगार योजना | 180 | 63.00 |
| 2 | बहन निवेदिता स्व सहायता समूह | 03 | 9.00 |
| 3 | कपिल धारा योजना | 20 | 5.00 |

कार्यालय में उपलब्ध अधिनियम , निगम (रूल रेगुलेशन):-

1. सहकारिता अधिनियम ।
2. जिला समिति की उपविधि ।

कार्यालय मे संधारित किये जाने वाले अभिलेखो की सूची :-

| क. | शाखा का नाम | संधारित अभिलेख |
|----|-------------------|--|
| | लेखा | कैश बुक , लेजर चैक पंजी , अनुदान पंजी ऋण लेजर , अग्रिम पंजी , मियादी जमा पंजी , आवंटन पंजी । |
| 2 | योजना शाखा | ऋण प्रकरण आवक पंजी , ऋण प्रकरण प्रेषण पंजी , प्रगती पंजी ,संपर्क पंजी । |
| 3 | कार्यलीन व्यवस्था | स्टेशनरी पंजी , डेंड स्टोक पंजी , रसीद बुक , इश्यु पंजी , ऋण आवेदन जारी पंजी आकस्मिक अवकाश पंजी , उपस्थित पंजी नस्ती पंजियन पंजी .समय –सीमा , जन प्रतिनिधियो की पंजी आवक जावक पंजी । |

हितग्राही चयन समिति :-

- 1 प्रभारी मंत्री / जिले के अनुसूचित जाति वर्ग के एक विधायक – अध्यक्ष
- 2 कलेक्टर /अध्यक्ष अथवा उनके द्वारा नामांकित प्रतिनिधि – सदस्य
- 3 महाप्रबंधक जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र – सदस्य
- 4 जिला संयोजक / सहायक आयुक्त अ.जा.का – सदस्य
- 5 मु.का. अ./का. अ./स.का.अ. – संयोजक

जिला समिति के क्रियाकलापो का अनुमोदन संचालक मंडल द्वारा किया जाता है संचालक मंडल के निम्न सदस्य होंगे । :-

| | | | |
|----|---|---|--------------|
| 1. | कलेक्टर एवं अध्यक्ष | — | पदेन अध्यक्ष |
| 2. | (अ) जिला समिति के सदस्यो द्वारा निर्वाचित सदस्य – 9 | — | सदस्य . |
| | (ब) जिला समिति के सदस्य सहकारी संस्थाओ के प्रतिनिधि | — | पदेन सदस्य |
| 3 | मुख्य कार्यपालन अधिकारी (डी.आर.डी.ए.)जिला पंचायत | — | पदेन सदस्य |
| 4 | जिला संयोजक /सहायक आयुक्त अनु.जाति कल्यान विभाग | — | पदेन सदस्य |
| 5 | सहायक पंजीयक /उप पंजीयक सहकारी संस्थाये | — | पदेन सदस्य |
| 6 | महाप्रबंधक जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र | — | पदेन सदस्य |
| 7 | लीड बैंक के सदस्य | — | पदेन सदस्य |
| 8 | उप संचालक कृषि | — | पदेन सदस्य |
| 9 | निगम का प्रतिनिधि | — | पदेन सदस्य |
| 10 | मु का.अ./का.अ./सहा.का.अ. | — | संयोजक सदस्य |

8.1 संस्था के संचालन मंडल /आम सभा की बैठको का आयोजन :-

उपविधि क्रमांक 20 में निहित प्रावधानान्तर्गत आम सभा की बैठक का आयोजन वर्ष में एक बार आयोजित किये जाने का प्रावधान है । तथा संचालक मंडल की बैठक का आयोजन उपविधि क्रमांक 27 में निहित प्रावधान है । तथा संचालक मंडल की बैठक का आयोजन उपविधि क्रमांक 27 में निहित प्रावधानान्तर्गत दो माह में एक बार आयोजित किये जाने का प्रावधान है ।

8.2 संस्था के विगत बैठको एजेंडा एवं कार्यवाही का विवरण का उपलब्ध होना:-

विगत आम सभा की बैठक दिनांक को आयोजित की गई थी । बैठक का एजेंडा बिंदु एवं कार्यवाही विवरण जिला समिति में सुरक्षित है ।

9.10. जिला समिति के कार्यरत अधिकारी /कर्मचारी का विवरण :-

| क्र. | नाम अधिकारी का | पदनाम | वेतन | पता /फोन |
|------|-------------------|-----------------|----------|----------------------------|
| 1 | श्री आर.के.जैन | प्र.कार्य. अधि. | 25034 /— | ज्यारत नाका सिवनी |
| 2 | श्री वाय.के.वर्मा | लेखापाल | 20664 /— | सी.बी. रमन वार्ड सिवनी |
| 3 | श्री बलराम नामदेव | लिपिक | 14500 /— | शहीद वार्ड कटंगी रोड सिवनी |
| 4 | श्री आषीश बारमाटे | भृत्य | 10429 /— | टैगोर वार्ड सिवनी |
| 5 | श्री भीषम लाल कौल | भृत्य | 11267 /— | विवेकानन्द वार्ड सिवनी |

11. वर्ष 2010-11 के लिये बजट आवंटन की स्थिति :-

| क्र. | मद का नाम | पूर्व वर्ष की शेष | वर्ष में प्राप्त | योग | व्यय | शेष | रिमार्क |
|------|---------------------------|-------------------|------------------|----------|--------|---------|---------|
| 1 | स्वरोजगार योजना | 3354500 | 900000 | 42154500 | 510000 | 3744500 | |
| 2 | रा. सफाई कर्म.वि. वि. नि. | 0 | 6.50 | 6.50 | 6.50 | 0 | |

12. जिला समिति द्वारा संचालित योजनाएं एवं चयन की प्रक्रिया एवं वर्षवार लाभान्वित की जानकारी :-

(क) स्वरोजगार योजनाएं, पात्रता, चयन प्रक्रिया आदि :-

1. स्वरोजगार योजना :- इस योजनान्तर्गत गरीबी रेखा से नीचे जीवन याजन कर रहे बेरोजगारों को लघु उद्योग, कुटीर, व्यापार के लिये बैंक से ऋण उपलब्ध कराया जाता है एवं समिति द्वारा ऋण का 50 प्रतिशत या अधिकतम 10000 रुपये अनुदान दिया जाता है।

पात्रता :- आवेदक गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाला हो जिले का स्थायी निवासी हो तथा अनुसूचित जाति का सदस्य हो इस हेतु राजस्व अधिकारी का आय,जाति, निवास प्रमाण पत्र तथा कहीं से कोई ऋण नहीं लिया है इस आशय का शपथ पत्र एवं राशन कार्ड होना चाहिये।

आवेदन :- जिला अंत्यावसायी सहकारी विकास समिति से योजना की जानकारी प्राप्त कर 10.00 रुपये आवेदन शुल्क जमाकर ऋण आवेदन प्राप्त किया जा सकता है।

चयन प्रक्रिया :- आवेदकों का चयन प्रथम आओ प्रथम पाओ के आधार पर किया जाता है। प्रथमतः आवेदन पंजीबद्ध किये जाते हैं एवं अनुसूचित जाति के विधायक की अध्यक्षता में गठित समिति के अनुमोदन पश्चात् प्रकरण तैयार कर बैंको को प्रेषित किये जाते हैं।

2. प्रतिष्ठा योजना :- सफाई कामगारों के सम्मान जनक व्यवसाय में उनके रुचि के अनुसार प्रतिस्थापित करना है। वर्तमान में दिनांक 1.4.2010 से यह योजना निगम द्वारा बंद कर दी गई है।

3. राष्ट्रीय अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम की योजनाएं :-

अनुसूचित जाति के दोगुनी गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाला सदस्य राष्ट्रीय अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम की योजनाओं में ऋण के रूप पात्र है। व्यवसाय जिनके लिये सहायता उपलब्ध करायी जाती है। वित्तीय वर्ष 2010-11 में निगम से लक्ष्य अप्राप्त।

1. कृषि क्षेत्र – ट्रैक्टर ट्राली , थ्रेसर,बोरवेल,औषधिय पौधे की खेती आदि ।
2. सेवा क्षेत्र – टेंट हाउस, बैंड पार्टी, जूता चप्पल, रेडिमेड आदि ।
3. परिवहन – जीप , मिनीबस, आटो डीजल, पेट्रोल आदि ।

आवेदन एवं चयन प्रक्रिया –अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम द्वारा समय समय पर प्रदत्त लक्ष्य के अनुसार आवेदन पत्र विभिन्न समाचार पत्रों के माध्यम से आमंत्रित किये जाते हैं तथा इनका चयन अनुसूचित जाति के विधायक महोदय की अध्यक्षता में गठित चयन समिति द्वारा किया जाता है। ऋण आवेदन पत्र जिला समिति में 10 रूपये जमाकर प्राप्त किये जा सकते हैं आवेदन के साथ , आय,जाति,निवास ,शैक्षणिक योग्यता प्रमाण पत्र राशन कार्ड वाहन हेतु ड्राइविंग लायसेंस आदि संलग्न कर जमा कर सकते हैं ।

4. राष्ट्रीय विकलांग वित्त एवं विकास निगम की योजनायें:—

आनुसूचित जाति के वर्ग के वे लोग जो कम से कम 40 प्रतिशत शारीरिक एवं मानसिक रूप से विकलांग हो इस निगम की आर्थिक विकास योजनाओं के पात्र होंगे । वर्ष 2010-11 में इस योजना में लक्ष्य अप्राप्त है ।

वित्तीय सहायता – फुटकर व्यवसाय हेतु ।

योजना का कार्यक्षेत्र –संपूर्णजिला ।

पात्रता –अनुसूचित जाति के सदस्य हो ,जिले के स्थायी निवासी हो एवं दोगुनी गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले हो इस हेतु आय जाति निवास प्रमाण पत्र तथा विकलांगता प्रमाण पत्र राशन कार्ड , कहीं से ऋण नहीं लिया हो इस आशय शपथ पत्र लगाकर आवेदन किया जा सकता है ।

हितग्राही चयन – अनुसूचित जाति विधायक ही अध्यक्षता में गठित चयन समिति द्वारा किया जाता है ।

ऋण की वसूली – प्रदत्त ऋण 5 प्रतिशत ब्याज सहित 60 समान किस्तों में जमा करना होगा ।

5. राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी वित्त एवं विकास निगम की योजनायें :-

सफाई कामगार जो मैला जैसा अमानवीय कार्य में लगे हैं को मुक्त कराकर उनके रुचि के अनुरूप धंधे में प्रतिस्थापित करना है । दिनांक 1.4.2010 से निगम द्वारा यह योजना बंद कर दी गई है ।

योजना का स्वरूप – इस योजनांतर्गत आटो ,जीप ,एवं विभिन्न सेवा क्षेत्रों में ऋण उपलब्ध कराया जाता है । जिसमें 50 प्रतिशत अधिकतम 10000/-अनुदान दिया जाता है ।

पात्र हितग्राही चयन – सफाई कामगार जो जिले का मूल निवासी हो तथा आवेदक या उसका परिवार सफाई कार्य करता हो तथा पूर्व में कहीं से ऋण नहीं लिया हो इस योजना के तहत पात्र होगा ।

हितग्राही चयन –हितग्राही चयन अनुसूचित जाति विधायक की अध्यक्षता में गठित चयन समिति द्वारा किया जाता है ।

ऋण की वसूली – प्रदत्त ऋण की वसूली 6 प्रतिशत ब्याज सहित 60 समान किस्तों में की जाती है ।

6. लघु वित्त ऋण (माइको क्रेडिट स्कीम) महिला समृद्धि योजना:-

राष्ट्रीय अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम एवं सफाई कर्मचारी वित्त एवं विकास निगम की लघु वित्त ऋण व्यवस्था के तहत अनुसूचित जाति के लोगों को एवं सफाई कामगारों को 30000/- रुपये का ऋण जिला समिति द्वारा उपलब्ध कराया जाता है जिसमें 10000/- अनुदान एवं 20000/- रुपये ऋण रहता है । इसी प्रकार महिलाओं के लिये महिला समृद्धि योजनान्तर्गत ऋण अनुदान उपलब्ध कराया जाता है ।

पात्रता – गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले सदस्य इस योजना में पात्र होंगे । आवेदक अनुसूचित जाति का सदस्य हो । जिले के स्थयी निवासी हों इस हेतु आय जाति निवास प्रमाण पत्र तथा राशन कार्ड प्रस्तुत करना होगा ।

आवेदन – राष्ट्रीय निगमों से लक्ष्य प्राप्त होने पर विभिन्न समाचार पत्रों में विज्ञप्ति के माध्यम से आमंत्रित किये जाते हैं तथा ऋण आवेदन पत्र जिला समिति में 10/- जमा कर प्राप्त किये जा सकते हैं ।

चयन – चयन प्रभारी मंत्री अथवा अनुसूचित जाति विधायक की अध्यक्षता में गठित चयन समिति द्वारा किया जाता है ।

ऋण की वसूली – प्रदत्त ऋण की वसूली 5 प्रतिशत ब्याज सहित 36 समान किस्तों में जमा करना होगा महिलाओं के लिये ब्याज पर 1 प्रतिशत की छूट प्रदान की जावेगी ।

14 कार्यालय में उपलब्ध जानकारियों की सूची :-

| क्र० | श्रेणी | हार्ड कापी | इलैक्ट्रानिक फार्म |
|------|--------------------|---------------------------|--------------------|
| 01 | वैधानिक रिकार्ड | बुक (हार्ड कापी में) | – |
| 02 | कार्यालयीन रिकार्ड | बुक/नस्ती(हार्ड कापी में) | – |

15. आम नागरिकों को सूचना उपलब्ध कराने हेतु सुविधायें :-

1. योजनाओं के फोल्डर ,
2. जागरूकता/सूचना शिविर,

16. अपीलीय प्राधिकारी/लोक सूचना अधिकारी/सहायक लोक सूचना अधिकारी से संबंधित

जानकारी:-

1. नाम (कलेक्टर) – अपीलीय प्राधिकारी
पद कलेक्टर – श्री अजीत कुमार
टेलीफोन नं. कार्या0 – 07692-220444 निवास:- 220301
स्थान जहाँ काम करते हैं – कलेक्ट्रेट सिवनी
मिलने का समय – 10.30 बजे से 5.30 तक
2. नाम(का.पा.अ.) – लोक सूचना अधिकारी
पद कार्य.अधि. – श्री आर.के.जैन
टेलीफोन नं. कार्या. – 07692-221030 निवास:-मो. 9200013083

- स्थान जहाँ काम करते हैं – जिला अंत्यावसायी सहकारी विकास समिति मर्यादित सिवनी
- मिलने का समय – 10.30 बजे से 5.30 तक
3. नाम – सहायक लोक सूचना अधिकारी
- पद(लेखापाल) – श्री योगेन्द्र कुमार वर्मा
- टेलीफोन नं. कार्या. – 07692–221030
- स्थान जहाँ काम करते हैं – जिला अंत्यावसायी सहकारी विकास समिति मर्यादित सिवनी
- मिलने का समय – 10.30 बजे से 5.30 तक

17. अन्य विषय :- -----

कार्यपालन अधिकारी,
जिला अंत्यावसायी सहकारी विकास
समिति मर्या0 सिवनी

कार्यालय जिला अंत्यावसायी सहकारी विकास समिति मर्यादित सिवनी

लाभान्वित हितग्राहियो की वर्ष 2010–11 की जानकारी

| क्र. | योजना का नाम | हितग्राही संख्या | बैंक ऋण | अनुदान |
|------|-----------------|------------------|---------|--------|
| 1 | स्वरोजगार योजना | 52 | 2230000 | 520000 |

कार्यपालन अधिकारी,
जिला अंत्यावसायी सहकारी विकास
समिति मर्या0, सिवनी